

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1761  
जिसका उत्तर दिनांक 16.03.2023 को दिया जाना है

**उत्तर-पूर्व में दुर्लभ मृदा खनिज अन्वेषण**

1761 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों में परमाणु खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार की खोज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार भविष्य में पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तरीके से इसके खनन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या यह भंडार इतना बड़ा है कि चीन से पृथ्वी के दुर्लभ मृदा धातु के आयात को कम किया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी विरल मृदा तत्व (आरईई) निक्षेपों को निर्धारित नहीं किया है।
- (ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।
- (ग) मात्र संसाधनों की मौजूदगी इसे धातु उत्पादन में परिवर्तित नहीं करती क्योंकि शुद्ध विरल मृदा ऑक्साइड में संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए और तत्पश्चात धातु प्राप्त होने के बाद खनन गतिविधि शुरू करने के लिए औद्योगिक स्थापना की आवश्यकता होती है। भारत में खनन से लेकर पृथक्करण और शुद्ध ऑक्साइड रूप में परिष्कृत किए जाने तक की सुविधाएं मौजूद हैं, जबकि बड़े पैमाने पर विरल मृदा धातु उत्पादन की औद्योगिक स्थापना मौजूद नहीं है।

\* \* \* \* \*